प्रेस प्रकाशनी *

अगस्त 2012

अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को कारगर बनाना - विशेषज्ञ समिति का गठन

1 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में संरचनात्मक बाध्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा ऋण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुचित संस्थाओं और ऋण लिखतों के साथ ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को मज़बूत करने के लिए विभिन्न उपायों का पता करने हेतु विद्यमान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का गहन विश्लेषण करेगी तथा विद्यमान तीन-स्तरीय संरचना के बदले एक दो-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के गठन की संभावना सहित ऋण लागत को कम करने की दृष्टि से विभिन्न विकल्पों की जाँच करेगी।

2. इस समिति के विचारणीय विषय नीचे दिए जा रहे हैं :

i. कृषि ऋण की अपेक्षा को पूरा करने में राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा अदा की गई भूमिका का आकलन करना जिस प्रारंभिक प्रयोजन के लिए उनका गठन किया गया है

ii. उन सहकारी बैंकों की पहचान करना जो दीर्घावधि में धारणीय नहीं हो सकते हैं यद्यपि उनमें से कुछ ने थोड़े समय के लिए लाइसेंस देने के सरलीकृत मानदण्ड को पूरा किया है।

iii. आमेलन, विलय, अधिग्रहण, समापन और विलंबन के माध्यम से समेकन हेतु समुचित व्यवस्था सुझाया जाना।

iv. उन पूर्वकृत उपायों को सुझाया जाना जिन्हें स्वयं सहकारी बैंकों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस दिशा में किया जाना ज़रूरी है।

v. इस विषयवस्तु के प्रासंगिक अन्य कोई मुद्दा और मामला।

3. इस समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

अध्यक्ष

श्री प्रकाश बख्शी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सदस्य

i. श्री वी.रामकृष्ण राव, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

ii. श्री उमेश कुमार, संयुक्त सचिव, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार

iii. डॉ. मोना शर्मा, प्रधान सचिव, सहकारिता, ओडिसा सरकार

iv. श्री यादवल्ली विजेन्द्र रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक

v. डॉ. बी. येरम राजू, निदेशक, विकास और अनुसंधान सेवा (प्राइवेट), लिमिटेड

vi. डॉ. एच. शैलेन्द्र, प्राध्यापक, ग्रामीण प्रबंध संस्थान,आनंद

श्री सी.डी.श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, सदस्य सचिव होंगे।

इस समिति को सचिवालयीन सहायता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

1 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,

* अगस्त 2012 की महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियां

एर्नाकुलम (केरल) पर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड मेसर्स मिथ्रा एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस कमिटी (एमएपीसी) को बेजमानती ऋण प्रदान करने और रूरल एकेडमी ऑफ मेनेजमेंट स्टडिज (आरएएमएस) के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 6(1)(i) और धारा 29(1)(बी) के अंतर्गत उल्लंघन करने और बैंक को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित किए गए अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अन्य उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। उत्तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

रिज़र्व बैंक ने दि प्रिमियर ऑटोमोबाइल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस का आवेदन अस्वीकृत किया

3 अगस्त 2012

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) (बैंक) का 31 मई 1966 का बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए किया गया आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद अस्वीकृत किया है कि अधिनियम की धारा 22(3) में अपेक्षित शर्तों को बैंक पूर्ण नहीं करता हैं। यह आदेश 23 जुलाई 2012 को कारोबार की समाप्ति से लागू होगा तथा बैंक के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अधिनियम की धारा 5(ख) के अंतर्गत आनेवाला 'बैंकिंग' कारोबार तुरंत प्रभाव से बंद करें। निबंधक, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को निरीक्षण उपरांत बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि जमकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए किसी अन्य बैंक के साथ विलयन करने की संभावना का पता लगाए या अधिनियम के दायरे से बाहर जाने पर विचार करें। यही बातें बैंक को 4 सितंबर 2007 के पत्र के माध्यम से भी सूचित की गयी। तथापि बैंक ने उसपर कोई कार्रवाई नहीं की।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से कारोबार में विभिन्न कमियां / अनियमितताएं पायी गयी। 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर 25 मार्च 2008 के पत्र शबैंवि. मुक्षेका. बीएसएस II/3358/12.07.184/2007-08 के माध्यम से बैंक पर पर्यवेक्षी कार्रवाई लगायी गयी जिससे नए एटीएम / विस्तार पटल/ शाखाएं खोलने तथा परिचालन क्षेत्र में विस्तार, बैंक की अनुमति के बिना लाभांश घोषित करना और बैंक के लिए परिसर खरीदना या कार्यालय परिसर का स्थान बदलने पर प्रतिबंध लगाए गए।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि कई कमियां अब भी बैंक में मौजूद हैं। 31 मार्च 2007 की स्थिति के लिए सकल और निवल एनपीए 34.9 प्रतिशत था जो बढ़कर 31 मार्च 2009 की स्थिति के लिए 43.0 प्रतिशत हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग लाइसेंस के लिए 31 मई 1966 के आवेदन में बैंक ने यह कहा था की सदस्यता केवल प्रिमियर ऑटोमोबाईल लिमिटेड के कर्मचारियों को ही दी जाएगी। अब बैंक के उप-नियमों में प्रिमियर ऑटोमोबाईल लिमिटेड के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को सदस्यता देने का प्रावधान है जो रिज़र्व बैंक के 8 अगस्त 2001 के परिपत्र शबैंवि. सं.बीएल.(एसइबी)5ए/07.01.00/2001-02 के पैरा 1(ii) का उल्लंघन है। बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कुल 3400 सदस्यों में से 1150 सदस्य मूल कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। बैंक ने प्रिमियर ऑटोमोबाईल लि. के कर्मचारेतर व्यक्तियों को ऋण दिया हैं।

बैंक के कारोबार की प्रमुख कमियां/ अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए तथा जनहित और जमाकर्ताओं के हित के लिए, अधिमानी भुगतान तथा बैंक की संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 जुलाई 2010 के निदेश शबैंवि. केंका. बीएसडी-1 सं डी-02/12.22.184/2010-12 के माध्यम से (2 अगस्त 2010 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी) अधिनियम की धारा

35 क के अंतर्गत निदेश लगाए गए। निदेशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ नयी जमाराशियां स्वीकार करना और ऋण देने तथा प्रति जमाकर्ता ₹1000/- से अधिक आहरण पर प्रतिबंध लगाए गए।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हुई है। बैंक की मूल्यांकित निवल संपत्ति 31 मार्च 2009 की स्थिति ₹114.25 लाख से घटकर 31 मार्च 2010 को ₹83.71 लाख हो गयी। बैंक का सकल एनपीए 31 मार्च 2009 की स्थिति के लिए सकल अग्रिम के 43.0 प्रतिशत था जो 31 मार्च 2010 की स्थिति के लिए 49.3 प्रतिशत हुआ। उसी अवधि में बैंक का निवल एनपीए निवल अग्रिम के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया। एनपीए की वसूली का कार्य संतोषजनक नहीं था इसलिए एनपीए बढ़ रहा था। बैंक एनपीए को नियंत्रित नहीं कर सका। वर्ष 2009-10 के दौरान मूल्यांकित निवल हानि ₹15.70 लाख से बढ़कर ₹25.35 लाख हुई। बैंक उच्च दर वाले जमाराशियों पर निर्भर था इसलिए उसका लाभप्रदता पर विपरित परिणाम हुआ। बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन दोनों में से किसी ने भी बैंक के जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां नहीं बनायी। निदेशक मंडल की समिति का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं था। बैंक नें निदेशक मंडल में व्यावसायिक निदेशक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 अप्रैल 2008 के दिशानिर्देश शबैंवि.पीसीबी.परि. 41/ 09.103.01/2007-08 के साथ पठित 5 अप्रैल 2002 के दिशानिर्देश शबैंवि.पीसीबी.परि.पीओटी.39/09.103.01/ 2001-02 का उल्लंघन किया।

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। मूल्यांकित निवल मूल्य में और गिरावट आई है तथा वह ₹62.49 लाख हुआ। 31 मार्च 2011 की स्थिति के लिए सकल एनपीए बढकर ₹193.26 लाख (64.0 प्रतिशत) और निवल एनपीए ₹40.19 लाख (27.0 प्रतिशत)हुआ। एनपीए की वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी। वर्ष 2010-11 के दौरान ₹5.90 लाख की एनपीए वसूली की गयी तथा ₹28.81 लाख नए एनपीए शामिल हो गये। 31 मार्च 2011 की स्थिति के लिए बैंक की मूल्यांकित निवल हानि (-) ₹18.51 लाख थी। बैंक निरंतर हानि में चल रहा था सभी लाभप्रदता अनुपात नकारात्मक हो गए थे। बैंक ने विमको, अम्बरनाथ नगर परिषद, इसीके एचएयूबीओडी, आदि के कर्मचारियों को सदस्य के रूप में स्वीकार किया था तथा 8 अगस्त 2001 के परिपत्र शबैंवि.एसं. बीएल.(एसइबी). 5ए के अनुच्छेद 1 (ii) में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उनमें से कुछ सदस्यों को ऋण प्रदान किया था। बैंक की विभिन्न जोखिमों की पहचान करना, उस पर उपाय करना, उनकी निगरानी करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रणाली निर्धारित नहीं की गयी थी।

बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट से बैंक की स्थिति में कोई सुधार लाने के लिए तथा गिरावट को रोकने के लिए प्रबंधन की अक्षमता दिखाई देती है। बैंक के निदेशक मंडल का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योकि उन्होंने बैंक की जोखिम प्रबंधन के लिए नीति बनाने की पहल नहीं की। बैंक के 27 अप्रैल 2012 के पत्र से यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत 28 जुलाई 2010 के निर्देश शबैंवि.केंका.बीएसडी1-सं. डी-02/12.22.184/2010-11 के माध्यम से सर्वसमावेशी निर्देश लगाने के बाद तथा 25 मार्च 2008 के पत्र शबैंवि.एमआरओ. बीएसएस II/3358/12.07.184/2007-08 के द्वारा पर्यवेक्षी कारवाई लगाने तथा बैंक को कार्यालय परिसर लेने या स्थानांतरित करने से रोकने के बावजूद भी बैंक ने कोहिनुर प्लानेट कंस्ट्रकशन प्राइवेट लि., से कंपनी द्वारा अग्रीमेंट के आधार पर विकसित किए जा रहे परिसर के बदले में अचल संपत्ति ली।

12 जनवरी 2012 के पत्र शबैंवि.केंका.बीएसडी-1/एससीएन/ 67/12.22.184/ 2011-12 के माध्यम से बैंक को कारण बताओं सूचना जारी की गयी तथा सूचित किया गया की इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर यह बताया जाए कि क्यों न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का उनका 31 मई 1966 का आवेदन अस्वीकृत किया जाए तथा बैंक को समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। कारण बताओ सूचना को बैंक द्वारा दिया गया 1 मार्च 2012 के जवाब की जांच की गयी तथा उसे संतोषजनक नहीं पाया गया।

उपर्युक्त बतायी गयी गंभीर अनियमितताओं से यह पता चला कि बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध हो रहा था। बैंक के सभी वित्तीय पैरामीटर और अधिक खराब हुए। बैंक के पास विलयन की या समिति बनाने की कोई सक्षम योजना भी नही थी । किए गए सुधार के लिए बैंक ने कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए।

बैंक ने प्रवेश बिंदु मानदंड को पूरा नहीं किया था और वेतन अर्जक बैंक के सदस्य के रूप मे बाहरी व्यक्तियों शामिल करते हुए वर्तमान निर्देशों का उल्लंघन किया था। पूंजी संरचना और बैंक की कमाई की संभावनाए घट रही थी तथा बैंक ने अधिनियम की धारा

22 (3) (घ) का अनुपालन नहीं किया था। बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट से प्रबंधन की अक्षमता दिखायी दे रही थी। इस प्रकार, बैंक का कारोबार अधिनियम की धारा 22 (3)(ख) का उल्लंघन करते हुए अपने वर्तमान / भावी जमाकर्ताओं के हित में नहीं है और बैंक के प्रबंधन कि सामान्य प्रवृत्ति अधिनियम की धारा 22 (3) खंड (ग) के उल्लंघन में जन हित या अपने जमाकर्ताओं के हित प्रतिकूल है।

अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उक्त बैंक का लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया। लाइसेंस अस्वीकृत होने तथा परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अनुसार बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरुप दि प्रिमियर ऑटोमोबाईल एंप्लॉइज को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई, (महाराष्ट्र) को अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती के.एस.ज्योत्सना, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया हैः

डाक पताः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई-400018; टेलीफोन सं. :(022) 24920225; फैक्स सं. : (022) 24935495

श्री अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया

7 अगस्त 2012

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (डी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने श्री अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री आर. गोपालन के स्थान पर 7 अगस्त 2012 से तथा अगले आदेशों तक नामित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित किया

9 अगस्त 2012

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने आज अपनी बैठक में 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ₹160.10 बिलियन की राशि का अधिशेष लाभ भारत सरकार को अंतरित करने का अनुमोदन दिया। 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष लाभ की राशि ₹150.09 बिलियन रुपए थी।

सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

9 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटीव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात), पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और काला धन आशोधन (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की मुंबई में बैठक

9 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की आज मुंबई में बैठक हुई। डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में डॉ. अनिल काकोडकर, श्री किरण एस. कर्णिक, श्री वाई.एच.मालेगाम, श्री अज़िम प्रेमजी, श्री दीपांकर

गुप्ता, श्री नजिब जंग, श्री जी.एम.राव, सुश्री इला भट्ट और डॉ. इंदिरा राजारमण ने भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रबर्ती, डॉ.सुबीर गोकर्ण, श्री आनंद सिन्हा और श्री एच. आर.खान भी उपस्थित थे। इस बैठक में श्री डी.के.मित्तल, सचिव, वित्तीय सेवा और केंन्द्रीय बोर्ड पर सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग भी उपस्थित थे। डॉ. मायाराम ने केंद्रीय बोर्ड के श्री आर. गोपालन के अधिवर्षिता पर पहुँचने पर उनकी जगह ली है। बैठक में देश की मुख्य आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की गई।

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड की बैठक मुंबई, चेन्नै तथा कोलकाता में आयोजित की जाती है। केंद्रीय बजट के बाद की बैठक पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में की जाती है जिसे वित्त मंत्री संबोधित करते हैं। शेष बैठकें क्रमवार राज्यों की अन्य राजधानियों में आयोजित की जाती हैं। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य रिज़र्व बैंक को समग्र निर्देश उपलब्ध कराना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने बैंकों और राज्य सरकार को वित्तीय समावेशन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहा

बैठक के बाद राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की विशेष रूप से आयोजित बैठक में गवर्नर डॉ.डी.सुब्बाराव ने चयनित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के अध्यक्षों और राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य विशिष्ट मामलों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- बैंकों को बैंकिंग प्रतिनिधियों की उचित कार्य-प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समावेशन के गुणात्मक कवरेज़ को सुनिश्चित करना चाहिए।
- बैंकों को सही तरीके से यह प्रचार करना चाहिए कि नो फ्रिल्स खाते योजना विशिष्ट नहीं है और उसका प्रयोग सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेनों के लिए किया जाना चाहिए।
- एसएलबीसी को वित्तीय समावेशन में शामिल करने के प्रयोजन से 2000 से कम की आबादीवाले गाँवों का आबंटन 15 सितंबर 2012 तक पूरा कर लेना चाहिए। राज्य की चार अग्रणी बैंकों को गाँवों में बीसी-आईसीटी मॉडल के सुगम परिचालन को प्रभावित कर रहे मामलों का मूल्यांकन करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से अपने संबंधित जिलों में सभी बैंकिंग प्रतिनिधियों का सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए।
- बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में पिछले वर्ष चयनित किये गये 8 जिलों तथा केंद्रीय बजट में उल्लिखित 5 और जिलों के प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोला गया हो । उक्त खाते सभी प्रयोजनों के लिए होंगे तथा खाताधारकों को अंतरित किये जाने वाले सभी भुगतानों से जुड़े होंगे । जिला प्रशासन विभिन्न सामजिक तथा अनुषंगी योजनाओं के लाभार्थियों की अद्यतन सूची उपलब्ध करायेंगे ।
- सात जिले जहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के निर्देशन के अंतर्गत आते हैं वहाँ अग्रणी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण अंतर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और सहकारी विभाग के फिल्ड स्तरीय अधिकारियों की परिचालन सहायता से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरा किया जाता है।
- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरएसईटीआई) के मामलों में, जहाँ भूमि आबंटित की गयी है और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शीघ्र ही वहाँ प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाती है।

मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

10 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 66, पार्क व्यू एनक्लेव, हस्मतपेठ रोड, हैदराबाद-500009 है, को 13 नवंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 09.00196 13 जून 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर संशोधित निर्देश

10 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए 01 फरवरी 2012 के अपने निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी II सं./डी-70/12.21.114/2011-12 के अनुसार दि म्युनिसिपल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर लगाए गए निर्देशों की अवधि जो 14 अगस्त 2012 को समाप्त हो रही है उसे अब और छह महीनों अर्थात् 15 फरवरी 2013 तक बढ़ाई गई है जो 25 जुलाई 2012 के संशोधित निर्देश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी II/डी-02/12.21.114/2012-13 के अनुसार समीक्षा के अधीन होगी। आम जनता के इच्छुक सदस्यों के अनुपालन हेतु विस्तृत संशोधित निर्देश बैंक परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र

10 अगस्त 2012

जनता की सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं, जिससे 7 अगस्त 2012 को कारोबार की समाप्ति से, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 अगस्त 2012 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोड़कर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं क रेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा। अधिसूचित निदेश की प्रतिलिपि हित रखनेवाले जनता के सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। उपर्युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति न दी जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सोलापुर, महाराष्ट्र

10 अगस्त 2012

जनता की सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., सोलापुर, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। जिससे 7 अगस्त 2012 को कारोबार की समाप्ति से, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 अगस्त 2012 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोड़कर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं

करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा। अधिसूचित निदेश की प्रतिलिपि हित रखनेवाले जनता के सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। उपर्युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति न दी जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है । बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

10 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूर, कर्नाटक, पर ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक द्वारा अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदार तथा उनके कंपनी जिसमें निदेशक का हित निहित हो, को ऋण तथा अग्रिम मंजूर/नवीकृत करने पर तथा तत्संबंधी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रारूप I और II में प्रस्तुत तिमाही विवरण में रिपोर्ट किए बिना छिपाने के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी को गलत सूचना प्रदान करके भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 2003 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.परि.50/13.05.00/2002-03 जिसे 29 अप्रैल 2003 के निदेश शबैंवि.बीपीडी.परि.5/13.05.00/2002-03 तथा 24 जून 2003 के परिपत्र शबैं नं. परि.54/13.05.00/2002-03 के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि बढ़ाने तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी किया

13 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि बढ़ाने तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी किया। इस कार्यदल ने विभिन्न अनुशंसाएं की हैं जिन्हें आवश्यक अनुशंसाओं, वांछनीय अनुशंसाओं और परिचालन अनुशंसाओं में वर्गीकृत किया गया है। इस कार्यदल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं इस प्रकार हैंः

(क) सरकारी प्रतिभूति बाज़ार

- रिपोर्ट में उल्लिखित आदर्श योजना के आधार पर बकाया सरकारी प्रतिभूतियों का समेकन;
- प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी को उनमें बाज़ार तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रतिभूतियों का आबंटन;
- देश की समग्र बाह्य ऋण स्थिति, चालू खाता घाटा, सरकारी उधार कार्यक्रम के आकार आदि को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश सीमा में क्रमिक वृद्धि;
- संस्थाओं और अन्य स्टेकधारकों के लिए एक समायोजित तरीके से परिपक्वता तक धारित पोर्टफोलियो को अवरोध रहित बनाने के लिए उच्चतम सीमा को क्रमिक रूप से नीचे लाने पर एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है; और

- 'लीवरेज़' पर उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ सावधि रिपो बाज़ार को प्रोत्साहन तथा सरकारी प्रतिभूतियों में त्रिपक्षिय रिपो का प्रवर्तन

(ख) खुदरा सहभागिता

- बैंकों की सेवाएं (यदि संभव हो तो व्यापक स्तर पर तथा भारत सरकार के परामर्श से डाकघर) का उपयोग वितरण माध्यम के रूप में तथा व्यक्तिगत निवेशकों के साथ इंटरफेस के लिए किया जाए; और
- दीर्घावधि में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागियों के लिए एक केंद्रीकृत बाज़ार निर्माणकर्ता पर विचार किया जाए जो खुदरा/व्यक्तिगत निवेशकों के लिए दुतरफा कीमतें उद्धृत करेंगे।

(ग) ब्याज दर डेरिवेटिवज़ बाज़ार

- ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) बाज़ार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्वैप निष्पादन सुविधा (इलेक्ट्रॉनिक कारोबार प्लेटफार्म) को किसी केंद्रीय प्रतिपक्षी व्यवस्था के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से गारंटीकृत निपटान के लिए लागू की जाए;
- बीमा कंपनियों, भविष्य निधि तथा वित्तीय रूपसे मज़बूत अन्य संस्थाओं को आइआरएस बाज़ार में सहभागिता की अनुमति दी जाए;
- वायदा संविदाएं जिन्हें ओवरनाईट मांग उधार दर पर आधारित ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) जैसे सहभागिता हितों को आकर्षित करने की उच्चतर संभावना है, को लागू किया जाए; और
- प्रतिबंधित सहभागिता, संस्था आधारित खुली स्थिति सीमा, मूल्य सीमा आदि जैसे समुचित विनियमों के अधीन नकद निपटाए गए 10 वर्षीय आइआरएफ को लागू किया जाए।

रिज़र्व बैंक इस कार्यदल द्वारा की गई अनुशंसाओं की जांच करेगा और समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा।

पृष्ठभूमि

यह स्मरण होगा कि वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति की दूसरी छमाही समीक्षा (पैरा 71) में की गई घोषणा के अनुसार बाज़ार विशेषज्ञों, रिज़र्व बैंक के अधिकारियों तथा अन्य स्टेकधारकों को शामिल करते हुए श्री आर. गांधी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल के अन्य सदस्य थें प्रो. शंकर डे (भारतीय विपणन विद्यालय, हैदराबाद), श्री के. वेणुगोपाल (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक), श्री अजय मारवाह (कार्यपालक उपाध्यक्ष, एचडीएफसी बैंक), श्री सौम्यो दत्त (प्रबंध निदेशक, सीटी बैंक), श्री सी.ई.एस. अजारिया (मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियत आय और मुद्रा बाज़ार व्यापारी संघ), श्री प्रदीप माधव (अध्यक्ष, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ), श्री रवि राजन (कार्यपालक उपाध्यक्ष, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड), श्री दीपक सिंघल (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्री जी. महालिंगम (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्री माईकेल डी. पात्रा (परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्री आर. एन. कार (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक) और श्री के. के.वोहरा (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक)। इस कार्यदल की प्रारूप रिपोर्ट आम जनता के अभिमत के लिए 31 मई 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाईट पर डाली गई थी। इस कार्यदल ने बाज़ार सहभागियों और अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया

14 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र), पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

31 मार्च 2012 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं को परिचालनगत निदेशों के अंतर्गत निर्धारित ₹10.00 लाख की सीमा से अधिक सावधी ऋण प्रदान करने के द्वारा 23 जून 2004 के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी (एससीबी)/01.12 12.03.941/2003-04 के पत्र द्वारा बैंक को जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया था।

बैंक ने वर्तमान उधारकर्ताओं को परिचालनगत निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4 मामलों में ₹10.00 लाख की सीमा से अधिक का नकदी ऋण भी मंजूर किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

____

डॉ. के. सी. चक्रवर्ती को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया

17 अगस्त 2012

भारत सरकार ने डॉ. के. सी. चक्रवर्ती को 30 जून 2014 तक अर्थात् 62 वर्ष की आयु पर पहुँचने तक अथवा अगले आदेश प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। भारत सरकार की पूर्व की अधिसूचना के अनुसार उनकी तीन महीने की अवधि 14 सितंबर 2012 को समाप्त हो जाएगी।

____

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का कार्यवृत्त जारी किया

21 अगस्त 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) का कार्यवृत्त जारी किया।

फरवरी 2011 से ही रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति बैठकों पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति की चर्चा के मुख्य बिंदु इस बैठक के बाद अनुमानतः चार सप्ताहों के अंतराल के साथ वेबसाईट पर डालता रहा है।

कार्यवृत्त

मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) की 29वीं बैठक 31 जुलाई 2012 को मौद्रिक नीति 2012-13 की पहली तिमाही समीक्षा के अनुसरण में 25 जुलाई 2012 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में की गई चर्चा के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं -

1. सभी सदस्य वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण में अपने आकलन में एकमत थे। उन्होंने महसूस किया कि उभरती हुई वैश्विक स्थिति उस स्थिति से भी अधिक खराब है जो वर्ष के शुरू में थी। अमरीकी वृद्धि घट रही है, यूरोपियन संकट गहराता दिख रहा है। यद्यपि, यूरोप ने संघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है तथा चीन की वृद्धि के मंद होने के लगातार प्रमाण हैं। उन्होंने महसूस किया कि वैश्विक वृद्धि में और मंदी संभावित है।

   अमरीका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे के साथ वैश्विक खाद्य भंडारों में कमी सभी समय की कमी से भी नीचे जाना संभावित है तथा वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति उच्चतर रह सकती है। यद्यपि, तेल की कीमतों में कमी से भारत को सहायता मिली है तथा तेल आपूर्ति में सुधार के कुछ प्रमाण है, मुद्रास्फीतिकारी दबाव धातु, तेल और अन्य पण्य वस्तुओं पर व्याप्त हो सकते हैं यदि अमरीका अथवा यूरोप में और परिमाणात्मक कमी होती है।

2. घरेलू समष्टि आर्थिक चिंताओं पर सदस्यों ने महसूस किया कि वर्तमान स्थिति पिछले कुछ वर्षों में अधिकतर कठिन रही है। ऊर्जा, कोयला तथा परिवहन में मूलभूत सुविधा अवरोध खराब होते दिख रहे हैं जिससे आपूर्ति पक्ष दबावों के गंभीर परिणाम हो रहे हैं। ऊर्जा और उड्डयन क्षेत्रों में कमज़ोरियों के साथ सार्वजनिक-निजी-सहभागिता परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं जिनके साथ मूलभूत सुविधा में कम होते निजी निवेश के जोखिम जुड़े हैं। विनिर्माण क्षेत्र न केवल पूंजीगत वस्तु उद्योग में खराब हालत के साथ बल्कि अल्प-चक्रीय उपभोक्ता उत्पादों में कमी दर्ज होने के साथ भी स्थिर बना हुआ है। कमज़ोर मानसून के कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट हो सकती है। सारांशतः सदस्यों ने महसूस किया कि घरेलू वृद्धि की मंदी के भी बढ़ते हुए प्रमाण हैं।

3. सभी सदस्यों ने महसूस किया कि मानसून की असफलता के साथ खाद्यान्न कीमतें कृषि में आवश्यक कमी के कारण उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती हैं। एक सदस्य ने महसूस किया कि उच्चतर खाद्यान्न भंडारण खाद्यान्न कीमतों पर बढ़ते दबाव को रोक सकता है लेकिन दूसरे सदस्य ने यह अनुभव किया कि इससे ज्यादा सहायता

नहीं मिलेगी क्योंकि इस भंडार का कुछ हिस्सा खाने योग्य गुणवत्ता का नहीं रहेगा। मज़दूरी दबाव खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय बने रहे। इसके अतिरिक्त संरचनात्मक समस्याएं जैसेकि प्रोटिन मदों की समस्याएं गैर-मुख्य मुद्रास्फीति को उच्चतर बनाए हुए हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीतिकारी चिंता दबी हुई मुद्रास्फीति तथा मूलभूत सुविधा में कड़े आपूर्ति अवरोधों से उत्पन्न हो रही है। अर्थव्यवस्था वृद्धि में मंदी और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से बंध गई है लेकिन सदस्यों ने महसूस किया कि इसके उपचार सरकार के पास हैं।

4. राजकोषीय मोर्चे पर कई सदस्यों में यह आशंका व्यक्त की कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटे में गिरावट हो सकती है। कुछ सदस्यों के अनुसार आर्थिक सहायता को रोक रखने के लिए डीज़ल की कीमतों में संशोधन संभावित सूखे की स्थिति के कारण बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। सदस्यों ने यह महसूस किया कि ये जुड़वां घाटे भारत के लिए गंभीर चिंता बने हुए हैं।

5. अधिकांश सदस्यों ने यह पाया कि भारत की बाह्य क्षेत्र चिंताएं बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंद हुआ है जबकि चालू खाता घाटा (सीएडी) उच्चतर रहा है। यद्यपि, पिछली तिमाही में तेल की अंतराष्ट्रीय कीमतों और स्वर्ण आयात में गिरावट के कारण कुछ सुधार हुआ है। जब तक कीमती वस्तु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) परियोजनाएं शुरू नहीं की जाती हैं, स्थिति में सुधार संभावित नहीं है। तथापि, सदस्यों ने चालू खाता घाटे को वित्त प्रदान करने के लिए अल्पावधि विदेशी ऋण पर अत्यधिक निर्भरता के विरूद्ध सतर्क किया।

6. मौद्रिक नीति और चलनिधि उपायों पर सदस्यों के विचार भिन्न-भिन्न थे। सात बाहरी सदस्यों में से पांच ने यह सुझाव दिया कि रिज़र्व बैंक को अपनी नीति दर में बदलाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि राजकोषीय प्रभाव, दुहरे अंकों वाली उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति तथा सरकार से विश्वसनीय कार्रवाई की कोई वास्तविक आशा नहीं रहने को देखते हुए रिज़र्व बैंक को मुदास्फीति प्रत्याशाओं में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रुरत है। इन पांच सदस्यों में से एक ने सुझाव दिया कि वृद्धि की सहायता के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध करानी चाहिए जिसके लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में या तो 25 आधार अंकों तक कमी की जाए अथवा खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) को और सक्रिय किया जाए। दूसरे सदस्य का यह विचार था कि सीआरआर पहले ही कम है और इसे और खराब स्थिति के लिए बचाए रखा जा सकता है लेकिन अधिक आक्रमक खुले बाज़ार परिचालनों को प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि में सुधार तथा चलनिधि स्थितियों में और कमी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

7. सात बाहरी सदस्यों में से शेष दो सदस्यों ने सुझाव दिया कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति दर में 25 आधार अंकों तक एक सांकेतिक कमी की जा सकती है। एक ने यह सुझाव भी दिया कि सीआरआर में 25 आधार अंकों की कमी की जाए।

8. इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर ने की। अन्य उपस्थित आंतरिक सदस्य थेः डॉ. सुबीर गोकर्ण, उपाध्यक्ष, उप गवर्नर, डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, श्री आनंद सिन्हा और श्री एच.आर.खान तथा बाहरी सदस्यों में श्री वाई.एच.मालेगाम, डॉ. राकेश मोहन, प्रो. इंदिरा राजारमण, प्रो. सुदीप्तो मुंडले, प्रो. एरोल डिसूज़ा और प्रो. असीमा गोयल उपस्थित थे। डॉ. शंकर आचार्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें लेकिन उन्होंने लिखित विचार प्रस्तुत किए। भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों में श्री दीपक मोहंती, डॉ. माईकल डी. पात्रा, डॉ. जनक राज, डॉ. बी.के.भोई, श्री बी.एम.मिश्र और श्री प्रदीप मारिया उपस्थित थे।

____